पत्रांक–2 / यो0–5011 / 2016–

बिहार सरकार

श्रम संसाधन विभाग

निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण (नियोजन),बिहार,पटना

अनौपचारिक रूप से आंतरिक वित्तीय सलाहकार द्वारा परामर्शित।

प्रेषक,

संजय कुमार सिंह
सरकार के संयुक्त सचिव,
श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में

महालेखाकार,
(ले0 एवं ह0), वीरचन्द पटेल पथ पटना ।

पटना–15, दिनांक–

विषयः– **"निःशक्त जनों के लिए नियोजन सहायता"** योजना के तहत जिलों में कमजोर वर्ग के बेरोजगारों के लिए कैम्प का आयोजन एवं निःशक्त व्यक्तियों (समान अवसर, अधिकारों की सुरक्षा एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के आलोक में विशेष दिवस मनाये जाने निमित्त योजना का वर्ष 2016–17 मे ₹40,00,000 (रूपये चालीस लाख) मात्र के अनुमानित वार्षिक व्यय पर अवधि विस्तार की स्वीकृति ।

आदेशः–**स्वीकृत**।

महाशय,

योजनान्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 में ₹ 40,00,000 / – (रूपये चालीस लाख) मात्र के अनुमानित वार्षिक व्यय पर अवधि विस्तार की स्वीकृति वित्त विभाग के पत्रांक–ब0–17 / बी0 एस0 जी0–18 / 2016–423 / वि0 दिनांक–31.03.2016 के अंतर्गत प्रदत्त शक्ति के अंतर्गत प्रदान की जाती है।

स्तम्भ A विषय शीर्ष–20 02–कॉफ्रेंस कार्यशाला सेमिनार मद में उपबंधित राशि ₹ 15,00,000 / – (रूपये पन्द्रह लाख) मात्र (संलग्न विवरणी स्तम्भ–4 के अनुसार) के व्यय पर बिहार कौशल विकास मिशन, पटना / विकलांग व्यावसायिक पुर्नवास केन्द्र, पटना (National Career Service Centres for Differently Abled, Patna) के माध्यम से अथवा निजी क्षेत्र के नियोजकों तथा प्रशिक्षण प्रदाताओं को आमंत्रित कर उनके लिए रोजगार एवं रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण के अवसर भी उपलब्ध कराने की चेष्टा की जायेगी। इस योजनान्तर्गत बिहार के कमजोर वर्गो तथा दिव्यांगों की नियोजन क्षमता को बढ़ाने के लिए विशेष नियोजन सहायता–सह–मार्गदर्शन तथा रोजगार प्रदान करने हेतु जानकारी, कौशल विकास तथा नियोजन सहायता देने के लिए लोक सूचना एवं मूल्याकंन कैम्प के आयोजन पर नियोजनालयों द्वारा राशि का व्यय किया जायेगा। विशिष्ट वक्ताओं को आमंत्रित कर उनसे विभिन्न रोजगार के अवसरों के संबंध में मार्गदर्शन दिलाया जायेगा। कमजोर एवं दिव्यांग आवेदकों को सुरक्षित नियोजन अवसर, रिक्ति की उपलब्धता के आधार पर मार्गदर्शन उपलब्ध कराने तथा निःशक्त व्यक्तियों (समान अवसर, अधिकारों की सुरक्षा एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम–1995 के आलोक में जागरूकता फैलाने हेतु सभी जिलों में विशेष दिवस एवं कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा।

स्तम्भ B इस योजना के अंतर्गत विषय शीर्ष– 21 01 –साम्रगी एवं पूर्तियॉ मद में उपबंधित ₹10,00,000 / – (रूपये दस लाख) मात्र की राशि कुल 39 नियोजनालयों द्वारा दिव्यागों के लाभार्थ ब्हील चेयर अथवा अन्य आवश्यक सामग्रियों का क्रय तथा आपूर्ति सुनिश्चित की जायेगी। विकलांगो के लिए विशेष नियोजनालय, पटना द्वारा दृष्टिबाधित दिव्यागजनों के लाभार्थ एक विशेष कम्प्यूटर सेट की क्रय एवं आपूर्ति सुनिश्चित की जायेगी। इसके लिए (संलग्न विवरणी के स्तम्भ **B** (5) के अनुसार) राशि का व्यय किया जायेगा।

स्तम्भ C इस योजना के अंतर्गत कमजोर वर्गो एवं दिव्यांग बेरोजगार युवाओं के लिए विशिष्ट संस्थानों, नियोजन प्रदान करने वाले संगठन के साथ विशेष चयन कार्यक्रम का आयोजन करते हुए कमजोर वर्ग एवं दिव्यांग आवेदकों को निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु प्रत्येक जिला में विशेष रोजगार मेला कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगें। इन कार्यक्रमों में निजी क्षेत्र के नियोजकों तथा कौशल विकाश मिशन, पटना एवं रोजगार प्रदान करने वाले संगठनों को आमंत्रित कर कमजोर वर्ग एवं दिव्यांग आवेदकों के लिए विशेष चयन कार्यक्रम के आयोजन तथा इसके लिए आवश्यक स्टेशनरी, एवं दिव्यांगों के लिए विशेष शैक्षणिक उपकरणों तथा सामग्रियों के क्रय में राज्य में स्थित 39 संलग्न सूची के अनुसार नियोजनालयों / कार्यालयों द्वारा विषय शीर्ष 13 01–कार्यालय व्यय में उपबंधित ₹15,00,000 / – (रूपये पन्द्रह लाख) मात्र (संलग्न विवरणी स्तम्भ–6 के अनुसार) राशि व्यय की जायेंगी। विभिन्न जिलों में विशेष रोजगार मेला आयोजन हेतु तिथि का निर्धारण संबंधित नियोजनालय / कार्यालय के प्रभारी पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा।

(कृ0पृ0उ0)